# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार,** आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 51 /2025

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कुलदीप सिंह बराड़ पुत्र श्री गुरलाम सिंह बराड़ जाति जटसिख सा0 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. तरसेन सिंह पुत्र श्री जगतार सिंह जाति जटसिख सा0 मोहनपुरा, 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

..... वादीगण

**ब ना म**

1. बलविन्द्र कौर पुत्री श्री बलवंत सिंह जाति जटसिख सा0 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल– मंगेवाला जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)।
2. हरजीत कौर पुत्री श्री गुरलाम सिंह पत्नी श्री जगतार जाति जटसिख सा0 चक हीरा सिंह वाला, 5 एन के आर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. मनजीत कौर पुत्री श्री गुरलाम सिंह पत्नी श्री सुरिन्द्र सिंह जाति जटसिख सा0 बुकन खानवाला जिला फिरोजपुर (पंजाब)।
4. दिलबाग सिंह पुत्र श्री जगराज सिंह एवं जसवीर कौर जाति जटसिख सा0 मंगेवाला जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)।
5. गुरविन्द्र कौर निरवान पत्नी श्री हरदीप सिंह निरवान पुत्री जसवीर कौर जाति जटसिख सा0 वार्ड नम्बर 3, सादा पत्ती, जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब)।
6. कँवल जीत कौर पत्नी श्री स्वर्ण जीत सिंह पुत्री छिन्द्र कौर जाति जटसिख सा0 वार्ड नं. 12, उतराधा बास सरदारों का मोहल्ला, रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
7. दविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री बलजिन्द्र सिंह पुत्री सिमरजीत कौर जाति जटसिख सा0 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
8. सुमरीत कौर पत्नी श्री सुखविन्द्र सिंह पुत्री सिमरजीत कौर जाति जटसिख सा0 रामपुरा तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
9. गुरप्रीत कौर पत्नी श्री लवदीप सिंह पुत्री सिमरजीत कौर जाति जटसिख सा0 3 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. मनजिन्द्र कौर पत्नी श्री मेजर सिंह पुत्री छिन्द्र कौर जाति जटसिख सा0 वीपीओ मलकाना खुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
11. अमरजीत सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह एवं छिन्द्र कौर जाति जटसिख सा0 46 एफ मौड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
12. अमृत पाल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह एवं छिन्द्र कौर जाति जटसिख सा0 46 एफ मौड़ा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

13. सुखदीप सिंह बराड़ पुत्र श्री जगदेव सिंह जाति जटसिख सा0 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
14. हरप्रीत सिंह बराड़ पुत्र श्री जगदेव सिंह बराड़ जाति जटसिख सा0 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
15. सुखविन्द्र कौर पत्नी श्री जगतार सिंह जाति जटसिख सा0 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
16. जसकीरत कौर पत्नी श्री जसविन्द्र सिंह पुत्री श्री जगतार सिंह जाति जटसिख सा0 खुनण खुर्द जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब)।
17. सतवीर कौर पुत्री श्री जगतार सिंह पत्नी श्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख सा0 गांव सौथा जिला मुक्तसर (पंजाब) ।
18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

..... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित–अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा — वादीगण
अधिवक्ता गुरविन्द्र सिंह — प्रतिवादी 1 ता 17
पैरोकार राज — प्रति.–18

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक 10.07.2025**

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादीगण के पड़दादा श्री मेहर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख सा0 मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 87/70 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.7790 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 1145/6779 हिस्सा यानि 1.145 है0 कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादीगण के पड़दादा श्री मेहर सिंह का देहान्त हो चुका है। जिनके कुल 2 विधिक वारिस बलवन्त सिंह व तेजा सिंह थे। श्री बलवन्त सिंह व श्री तेजा सिंह का भी देहान्त हो चुका है। जिनके विधिक वारिसान वादीगण एवंम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 हैं। श्री मेहर सिंह के वारिस तेजा सिंह की एक पुत्री मलकीत कौर निःसंतान फौत हो चुकी है। जिसके वारिसान वादी संख्या 2 व प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 18 हैं। वादीगण के पड़दादा श्री मेहर सिंह के पास उक्त वर्णित भूमि के साथ साथ अन्य भूमि भी थी। जिसका उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों में बंटवारा कर दिया था तथा उक्त 1.145 है0 भूमि उन्होने अपने भरण पोषण के लिए अपने पास रख ली थी तथा यह कहा हुआ था कि उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि में से सवा तीन भूमि बलवन्त सिंह को तथा सवा बीघा भूमि तेजा सिंह को प्राप्त होगी। मगर मेहर सिंह, बलवन्त सिंह व तेजा सिंह तीनों का ही देहान्त हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.04.2000 को आपसी सहमति से घरू मौखिक बंटवारा करते हुए यह तय किया कि श्री मेहर सिंह के नाम से दर्ज उक्त वर्णित 1.145 है0 भूमि में से 0.829 है0 भूमि का मालिक वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह बराड़ तथा 0.316 है0 भूमि का मालिक तरसेम सिंह होगा तथा इस भूमि में श्री मेहर सिंह के अन्य किसी भी वारिस का कोई हक वा हिस्सा नहीं होगा तथा घरू बंटवारा अनुसार उक्त भूमि का कब्जा उसी समय दिनांक 13.04.2000 को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वादीगण को उक्तानुसार संभलवा दिया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को यह कहा हुआ था कि जब भी तुम चाहोगे सहमति से उक्त भूमि तुम्हारे नाम करवा देगें। इसी विश्वास पर वादीगण ने अथक मेहनत करके व काफी धन खर्च करके उक्त रकबा को उपजाउ बनाया है। वर्तमान में उक्त रकबा काफी उपजाउ व कीमती हो चुका है। वादीगण 13.04.2000 से घरू बंटवारानामा अनुसार अपने अपने रकबा पर काबिज चले आ रहें हैं तथा मौका पर घरू बंटवारा अनुसार वादीगण की फसले खड़ी हैं। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 को सहमति से बंटवारा करके घरू बंटवारानामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के लिए कहा। पहले तो वह टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.03.2025 को प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा मानने से इन्कार कर दिया और वादीगण को सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। वादग्रस्त भूमि चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 19 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः–

(1) यह कि श्री मेहर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख सा0 मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 87/70 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.7790 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 1145/6779 हिस्सा यानि 1.145 है0 कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह बराड़ को 0.829 हैक्टेयर भूमि का तथा वादी संख्या 2 तरसेम सिंह को 0.316 हैक्टेयर रकबा का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) यह कि स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि मे वादीगण के कब्जा काश्त किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।

(2). खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण में इकाबालिया जवाब दावा पेश किया गया जिसमें कथन किये गये कि प्रतिवादीगण का पता भी वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। यह सही है कि श्री मेहर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख सा0 मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 87/70 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.7790 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 1145/6779 हिस्सा यानि 1.145 है0 कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। यह सही है कि श्री मेहर सिंह का देहान्त हो चुका है। जिनके कुल 2 विधिक वारिस बलवन्त सिंह व तेजा सिंह थे। श्री बलवन्त सिंह व श्री तेजा सिंह का भी देहान्त हो चुका है। जिनके विधिक वारिसान वादीगण एवंम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 हैं। स्व0 श्री मेहर सिंह वंशावली (कुर्सीनामा) जिस प्रकार से अंकित की है, वह सही वा सत्य है। अतः स्वीकार है। यह सही है कि श्री मेहर सिंह के पास उक्त वर्णित भूमि के साथ साथ अन्य भूमि भी थी। जिसका उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपने पुत्रों में बंटवारा कर दिया था तथा उक्त 1.145 है0 भूमि उन्होने अपने भरण पोषण के लिए अपने पास रख ली थी तथा यह कहा हुआ था कि उनके देहान्त के पश्चात उक्त भूमि में से सवा तीन भूमि बलवन्त सिंह को तथा सवा बीघा भूमि तेजा सिंह को प्राप्त होगी। मगर मेहर सिंह, बलवन्त सिंह व तेजा सिंह तीनों का ही देहान्त हो चुका है। यह सही है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने दिनांक 13.04.2000 को आपसी सहमति से घरू मौखिक बंटवारा करते हुए यह तय किया कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थ)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

श्री मेहर सिंह के नाम से दर्ज उक्त वर्णित 1.145 है0 भूमि में से 0.829 है0 भूमि का मालिक वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह बराड़ तथा 0.316 है0 भूमि का मालिक तरसेम सिंह होगा तथा इस भूमि में श्री मेहर सिंह के अन्य किसी भी वारिस का कोई हक वा हिस्सा नहीं होगा तथा मय बंटवारा अनुसार उक्त भूमि का कब्जा उसी समय दिनांक 13.04.2000 को वादीगण को हकानुसार संभला दिया गया था। प्रतिवादीगण उक्त रकबा में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहते है। उक्त भूमि में जो भी प्रतिवादीगण का हिस्सा बनता है, उसका परित्याग हमने वादीगण के पक्ष में किया हुआ है। यदि वादीगण को स्व0 श्री मेहर सिंह के नाम से दर्ज भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। जिसकी लिखित संलग्न वाद पत्र हैं। प्रतिवादीगण ने जरूरी कार्य में व्यस्त होने के कारण इन्कार किया था। अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर श्री मेहर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख सा0 मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 87/70 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.7790 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 1145/6779 हिस्सा यानि 1.145 है0 कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह बराड़ को 0.829 हैक्टेयर भूमि का तथा वादी संख्या 2 तरसेम सिंह को 0.316 हैक्टेयर रकबा का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। इसमें प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत हैं।

**वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11, 13, ता 17 जरिए मुख्त्यारआम प्रतिवादी संख्या 12 के राजीनामा पेश किया गया।** राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से उक्त प्रकरण को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से डिक्री करवाना चाहते हैं:-

1. यह कि श्री मेहर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 87/70 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.7790 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 1145/6779 हिस्सा यानि 1.145 है0 कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह बराड़ को 0.829 हैक्टेयर भूमि का तथा वादी संख्या 2 तरसेम सिंह को 0.316 हैक्टेयर रकबा का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

**तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।**

**प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विवाद नहीं होने एवं प्रकरण में राजीनामा पेश होने पर प्रकरण में विवाद्यक कायम नहीं किये गये।**

**प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादी द्वारा प्रस्तुत मृतक मेहरसिंह के वारिसान की वंशावली के सम्बन्ध में मेहरसिंह के समस्त वारिसान की जांच करवाकर रिपोर्ट करने हेतु पत्र जारी किया गया । कार्यालय उपतहसीलदार मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 26 दिनांक 04.07.2025 के मेहरसिंह के समस्त वारिसान की जांच करवाकर दैनिक डायरी/रिर्पोट पेश की गई।**

**वादी द्वारा साक्ष्य वादी में कुलदीप सिंह बराड पुत्र श्री गुरलाभ सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमे जमाबंदी सम्वत 2072-2075 खाता संख्या 87/78 प्रदर्श-1, दस्तावेज मुख्तयारनामा आम दिनांक 05.05.2025 बहक अमृतपाल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

एवं छिन्द्र कौर प्रदर्श –2, शपथ पत्र तावादी 60/– रूपये दिनांक 05.06.2025 कुलदीप सिंह वगैरह प्रदर्श–3, नामान्तकरण ग्राम 10 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 6/46 प्रदर्श–4, नामान्तकरण ग्राम 10 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 6/46 प्रदर्श–5, जमाबंदी चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 61 प्रदर्श–6, जमाबंदी चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 61 प्रदर्श–7, कार्यालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला जिला श्रीगंगानगर की रिपोर्ट प्रदर्श–8 प्रदर्शित करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों जमाबंदी सम्वत 2072–2076 खाता संख्या 87/78 प्रदर्श–1, दस्तावेज मुख्तयारनामा आम दिनांक 05.06.2025 बहक अमृतपाल सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह एवं छिन्द्र कौर प्रदर्श –2, शपथ पत्र तादादी 60/– रूपये दिनांक 05.06.2025 कुलदीप सिंह वगैरह प्रदर्श–3, नामान्तकरण ग्राम 10 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 6/46 प्रदर्श–4, नामान्तकरण ग्राम 10 वाई तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 6/46 प्रदर्श–5, जमाबंदी चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 61 प्रदर्श–6, जमाबंदी चक 7 वाई पटवार हल्का मोहनपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 61 प्रदर्श–7, कार्यालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला जिला श्रीगंगानगर की रिपोर्ट प्रदर्श–8 का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा शपथ पत्र तादादी 50/– रूपये के स्टाम्प पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। मिकरान की वाद में वर्णित भूमि पर किसी भी विधि न्यायालय में कोई अन्य वाद विवाद विचाराधीन नहीं है तथा ना ही कोई स्थगन आदेश प्रभावी है। वादग्रस्त आराजी पर मौका पर प्रथम पक्षकारान का शांति पूर्वक कब्जा काश्त है। मिकरान का उक्त कृषि भूमि पर कोई बकाया नहीं है, अगर होगा या निकलेगा तो जमा करवाने हेतु पाबंद रहेंगे। मिकर के पूर्वज मेहर सिंह ने वाद में वर्णित भूमि की कोई वसीयत नहीं की है और ना ही वाद में वर्णित भूमि किसी दस्तावेज यथा बैयनामा, उपहार पत्र, इकरारनामा, तबादलानामा आदि के द्वारा किसी अन्य को अन्तरित की है। वाद में वर्णित भूमि पर प्रथम पक्षकारान का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा स्व. मेहर सिंह पुत्र दीदार सिंह(वादीगण का पड्दादा) के नाम जमाबंदी में दर्ज हिस्सा 1145/6779 को जरिए राजीनामा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जमाबन्दी के साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी का पैतृक होना साबित होता है। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक सहमति हो चुकी है। कार्यालय उपतहसीलदार मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 26 दिनांक 04.07.2025 की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण के पूर्वज श्री मेहर सिंह के वारिसान वहीं है जिनका विवरण वाद पत्र में दिया गया है। इसके अलवा अन्य कोई वारिस नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तवेजात एवम् दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–8 के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

हमने इस सम्बंध में आरआरडी 1981 पेज 512, आरटीए की धारा 40–53, 38–39–40, आरआरडी 1966 पेज 71, एआईआर 1976 (एससी) पेज 807 व 178, आरआर्डी पेज 219 आरआरडी 1975–478, एआईआर 1966 (एससी) 432 आरआरडी 1975 पेज 469 की नजीरों का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। हिन्दु उतराधिकार विधि के अनुसार वारिसान का पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

मुताबिक एआईआर 1978 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो, पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

## —:: आदेश ::—

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मेहर सिंह पुत्र श्री दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज भूमि वाके चक 9 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 87/70 के मुरब्बा नम्बर 55 की कुल 6.7790 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला में से 1145/6779 हिस्सा यानि 1.145 है0 कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 कुलदीप सिंह बराड़ को 0.829 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है तथा वादी संख्या 2 तरसेम सिंह को 0.316 हैक्टेयर रकबा का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.07.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner